न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 312 सन 2018
अनवान :–

1. सतीष पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।

बनाम

1. बेगराज पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 05.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा 14 डीपीएन के खाता संख्या 108/83 के प0न0 396/437 (29) के किला न0 21 ,22/0.506हैक , प0न0 396/438(36) के किला न0 1 ,2/0.506हैक , किला न0 8 ता 13 प्रत्येक 0.253हैक , 18 ता 21 की प्रत्येक 0.253हैक कुल 3.5420हैक , रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 129/77 के प0न0 384/445(104) के किला न0 24 ,25/0.506हैक , प0न0 384/446 (115) के किला न0 4/0.2020हैक , 5/0.1900हैक कुल 0.8980हैक व रोही मौजा 12 एनटीआर के खाता संख्या 64/68 के प0न0 391/429(38) के किला न0 1 ,2 ,9 ता 12 व 20/1.7710हैक प0न0 390/429(39) के किला न0 5 ता 18 ख्23 ता 25 कुल 17.00 किला की 4.3010हैक कुल तादादी 6.0720हैक व रोही मौजा चक 14 एनटीआर के के खाता संख्या 47/38 के प0न0 376/430(61) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 कुल 1.0120हैक व प0न0 377/430(62) के किला न0 1 ता 2 ,9 ता 12 व 19 ता 22 कुल 2.5300हैक कुल 3.5420हैक जो रामचन्द्र पुत्र बस्तरी खातेदार काश्तकार था वादी के दादा रामचन्द्र के फोत होने पर वाद भूमि विरास्तन से वाद भूमि उसकी पत्नी परमेश्वरी एव पुत्र बेगराज पर औद हुई परमेश्वरी के फोत होने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 108/83 की कुल 3.5420हैक , चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 129/77 की कुल 0.8980हैक व रोही मौजा 12 एनटीआर के खाता संख्या 64/68 की कुल 6.0720हैक व रोही मौजा 14 एनटीआर के खाता संख्या 47/38 की कुल तादादी 3.5420हैक आई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के

3.0360 हैक्ट कुल तादादी 3.5420 हैक्ट भूमि,

Web Copy - Not Official

दादा रामचन्द्र के फोत होने पर वाद भूमि विरास्तन से वाद भूमि उसकी पत्नी परमेश्वरी एव पुत्र बेगराज पर औद हुई परमेश्वरी के फोत होने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है पूर्व में वादी के दादा रामचन्द्र के फोत होने पर वाद भूमि विरास्तन से वाद भूमि उसकी पत्नी परमेश्वरी एव पुत्र बेगराज पर औद हुई परमेश्वरी के फोत होने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई है विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एव आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 108/83 की कुल 3.5420हैक , चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 129/77 की कुल 0.8980हैक व रोही मौजा 12 एनटीआर के खाता संख्या 64/68 की कुल 6.0720हैक व रोही मौजा 14 एनटीआर के खाता संख्या 47/38 की कुल तादादी 3.5420हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

3.0360 हैक्ट कुल तादादी 3.5420 हैक्ट भूमि,